

विध तथा न्याय (ग) विभाग

विज्ञप्ति

जयपुर, मार्च २०, १९५७

संख्या एफ. ६ (२) एल. जे. १ बी. १५७:—स्पेशल मंरेज एक्ट, १९५४ (१९५४ का केन्द्रीय एक्ट ४३) की धारा ५० द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, राजस्थान सरकार निदेश देती है कि राजस्थान विशेष विवाह नियम, १९५५, जो राजस्थान राज-पत्र विशेषांक भाग ४ (ग), दिनांक १६ मई, १९५५ में प्रकाशित हुए तथा राजस्थान राज-पत्र भाग ४ (ग), दिनांक ३० जून, १९५६ में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या डी, २९९५।एफ. १५ (१) जुडोशियल।५४, दिनांक ९ जून, १९५६ द्वारा संशोधित हुए, में निम्नलिखित और संशोधन किये जायेंगे, अर्थात् :—

उक्त नियमों के नियम १ के पश्चात्, निम्नलिखित नया नियम निविष्ट किया जायगा, अर्थात् :—

“१-क. नियमों का आबू, अजमेर और सुनेल क्षेत्रों में विस्तार और उन क्षेत्रों में प्रभावशील तदनुरूप नियमों का अधिक्रमण:—(१) दिनांक १ अप्रैल, १९५७ को और उस दिन से इन नियमों का, स्टेट्स रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट, १९५६ (१९५६ का केन्द्रीय एक्ट ३७) की धारा १० द्वारा निर्मित नये राजस्थान राज्य के आबू, अजमेर और सुनेल क्षेत्रों में भी विस्तार होगा।

(२) नये राज्य के आबू, अजमेर और सुनेल क्षेत्रों में प्रभावशील तदनुरूप नियमों का पूर्वोक्त दिनांक को और उस दिन से अधिक्रमण हुआ माना जायगा।”

राज्यपाल की आज्ञा से,

प्रभुदयाल लोईवाल,

शासन सचिव।

ENGLISH TRANSLATION

(Authorised by the Governor)

NOTIFICATION

Jaipur March 20, 1957.

No. F. 6 (2) LJ./B/57.—In exercise of the power conferred by Section 50 of the Special Marriage Act, 1954 (Central Act 43 of 1954) the Government of Rajasthan is pleased to direct that the following further amendment shall be made in the Rajasthan Special Marriage Rules, 1955 published in the Rajasthan Gazette Extraordinary Part IV-C, dated the 16th May, 1955 and amended by Notification No. D. 2995/F.15 (1) Jud./54, dated the 9th June, 1956 published in the Rajasthan Gazette, Part IV-C, dated the 30th June, 1956, namely:—

After Rule 1 of the said Rules, the following new rule shall be inserted, namely:—

“1 A. *Extension of the Rules to Abu, Ajmer and Sunel area and supersession of corresponding rules in force in those areas:—*

(1) On and from the first day of April, 1957, these rules shall also extend to the Abu, Ajmer and Sunel areas of the new State of Rajasthan as formed by section 10 of the State Reorganisation Act, 1956 (Central Act 37 of 1956).

(2) The corresponding rules, in force in the Abu, Ajmer and Sunel areas of the new State shall stand superseded on and from the aforesaid date.”

By Order of the Governor,
PRABHU DAYAL LOIWAL,
Secretary to the Government.